राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 04/2018–19

क्रमांक : एफ.6 (33) परीक्षा/प्राध्यापक/संस्कृत शिक्षा/74 **दिनांक : 04.05.2018**

आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 02/2017–18 से 12/2017–18 एवं 01/2018–19 से 11/2018–19 तथा शुद्धि पत्र संख्या 01/2018–19 के संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

(अ) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत संशोधन किये गये हैं, जो कि निम्नानुसार है :–

1. राज्य के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सेवाओं में पदों का 5 प्रतिशत व लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ सेवाओं में पदों का 12.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
2. ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार शिथिलन दिया गया है :–
   (क) राज्य सेवाओं के लिए – 5 वर्ष (ख) **राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को छोड़कर** समस्त अधीनस्थ सेवाओं के लिए – 15 वर्ष
   (ग) समस्त अन्य सेवाओं या पदों के लिए – तीन वर्ष की वृद्धि सहित सैन्य सेवाकाल के बराबर,
   परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी।
3. **सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतीकरण** – कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाणपत्र (N.O.C.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु उसे समुचित चयन अभिकरण को सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा –
   (क) मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व , जहां चयन लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से होता है,
   (ख) परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होता है,
   (ग) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व, जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से होता है।
4. यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक और/या कुल अंक, जहां कहीं भी विहित किये गये हो, तो पांच प्रतिशत या सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित, जो भी उच्चतर हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।

(ब) उक्त अधिसूचना के अनुसार आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन संख्या 2/2017–18 से 12/2017–18 एवं वि.सं. 1/2018–19 से 11/2018–19 के अंतर्गत जहां कहीं भी भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान उल्लेखित है, को विलोपित समझा जावे। आयोग द्वारा जारी किये गये उक्त विज्ञापनों में भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा, आरक्षण इत्यादि का लाभ उक्त अधिसूचना 17.04.2018 के अनुसार देय होगा।

(स) उक्त अधिसूचना में किए गए प्रावधानों के फलस्वरूप आयोग द्वारा जारी **विज्ञापन संख्या 2/2017–18 से 12/2017–18 तक एवं 01/2018–19 व 02/2018–19 (भर्ती एवं परीक्षा)** के तहत् आवेदन करने की **अंतिम दिनांक बढाकर 15.05.2018** रात्रि 12.00 बजे तक की जाती है। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। **(शेष विज्ञापनों के तहत् विज्ञापन में अंकित ऑन लाईन आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञापन अनुसार ही रहेगी)**

(द) बिन्दु संख्या–**'स'** में उल्लेखित विज्ञापनों के तहत् **ऑन लाईन संशोधन** की दिनांक 16.05.2018 से 20.05.2018 की जाती है।

(य) संबंधित विभागों से उक्त अधिसूचना के परिपेक्ष्य में पदों का वर्गवार वर्गीकरण प्राप्त होने पर आयोग की वेबसाईट पर यथासमय अपलोड कर दिया जायेगा। **इसलिए पदों के वर्गवार वर्गीकरण का इंतजार किये बिना अभ्यर्थी उक्त समस्त विज्ञापनों के तहत् आवेदन करें।**

(र) शासन द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की **वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से कम** है, के लिए आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही होगा।

(ल) विज्ञापनों की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

(दीप्ति शर्मा)
उप सचिव